हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.33/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06.4.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) गणेशराम देवासी पुत्र लक्ष्मणराम जी, जाति– देवासी, निवासी– धान्ता, पोस्ट– सिन्दरथ, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, होटल ओम चेतना, धनारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (दो) महेश कुमार स्वामी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता/पैकर, फर्म Mountain Tea Company, Near Govt. School, Luniyapura, Aburoad के अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.8.2021 को फर्म होटल ओम चेतना, धनारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चाय (माउन्ट वैली) का नमूना संख्या S-1157 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./363/Act/ 2021/363 दिनांक 17.8.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 28.3.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंने प्रतिवादीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि होटल ओम चेतना, धनारी में प्रतिवादी गणेशराम देवासी वर्तमान में होटल व्यवसाय का संचालन अवश्य करता है, लेकिन होटल ओम चेतना का मालिक प्रतिवादी गणेशराम देवासी नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में गलत तथ्य अंकित किये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चाय (माउन्ट वैली) का नमूना लेने की कोई कार्यवाही होटल ओम चेतना में नहीं की, बल्कि प्रतिवादी गणेशराम के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये तथा नमूने ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:18 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **F.S.S.Act Case No.33/2021**	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	की कार्यवाही में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के बतौर गवाह हस्ताक्षर नही करवाये है केवल सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर बतौर गवाह करवाये है तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पूरी कार्यवाही कार्यालय में बैठकर सम्पादित की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण को चाय (माउन्ट वैली) के जांच रिपोर्ट की प्रति नही भिजवाई है, जिसके कारण प्रतिवादीगण नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहे है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा 4 का उललंघन है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 01.8.2021 को सायं 11.00 ए.एम. पर फर्म होटल ओम चेतना, धनारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से गणेशराम देवासी पुत्र लक्ष्मणराम जी, जाति– देवासी, निवासी– धान्ता, पोस्ट– सिन्दरथ, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो होटल ओम चेतना में आम जनता को खाद्य पदार्थ चाय (माउन्ट वैल) की चाय बनाकर विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चाय (माउन्ट वैली) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता गणेशराम देवासी को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। होटल के अन्दर आलामारी की रैक में रखे हुए खाद्य पदार्थ चाय (माउन्ट वैली) के 12 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से चाय (माउन्ट वैली) के 2 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 480/– (रुपये चार सौ अस्सी मात्र) विक्रेता गणेशराम देवासी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकि[illegible] एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड [illegible] खाद्य पदार्थ चाय (मा[illegible] कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर करा[illegible] एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.33/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म होटल ओम चेतना, धनारी द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (माउन्ट वैली) के एक–एक किलोग्राम के पैक्ड पाउचों को फर्म Mountain Tea Company, Near Govt. School, Luniyapura, Aburoad से बिल इनवोईस नम्बर 305 दिनांक 01.8.2021 के द्वारा क्रय किये गये थे, जो प्रतिवादी महेश कुमार स्वामी की फर्म है तथा चाय (माउन्ट वैली) की निर्माता/पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (माउन्ट वैली) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (माउन्ट वैली) के विक्रय हेतु प्रतिवादी गणेशराम देवासी पुत्र लक्ष्मणराम जी, जाति– देवासी, निवासी– धान्ता, पोस्ट– सिन्दरथ, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता, होटल ओम चेतना, धनारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (माउन्ट वैली) के पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी महेश कुमार स्वामी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता/पैकर, फर्म Mountain Tea Company, Near Govt. School, Luniyapura, Aburoad, Dist. Sirohi पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं [illegible] को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि [illegible] आयन्दा दिनांक 17.5.2022 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:18 IST
Reason: SelfAttested

(क.आर.खोड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जंज F.S.S.Act Case No.33/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, सूखे, खाली जार दिखाये। खरीदशुदा चाय (माउन्ट वैली) के दोनों पैक्ड पाउचेज को खोलकर चाय (माउन्ट वैली) को चारों खाली जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। एक नमूना जार के साथ खाद्य पदार्थ (माउन्ट वैली) के मूल लेबल को लगाकर टेप से चिपकाया तथा चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीन्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 04.8.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री दीपक जैलिया, डी सी ओ, कार्यालय एन टी सी पी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 01.8.2020 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल ओम चेतना, धनारी में खाद्य कारोबारकर्ता गणेशराम देवासी से खाद्य पदार्थ चाय (माउन्ट वैली) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, [illegible] खाद्य पदार्थ चाय (माउन्ट वैली) के नमूना संख्या [illegible] प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./363/Act/2020363 [illegible] 17.8.2020 के अनुसार खाद्य [illegible] का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली [illegible] उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी गणेशराम देवासी,

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.